।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

क्रमांकःनिरी/नि0व0/जयपुर/1778/2010/पार्ट–5/ 48799-837 दिनांकः 15-11-19

01. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
02. समस्त, अधीक्षक/उपाधीक्षक,
केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
02. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
03 उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह,
जयपुर/जोधपुर।

विषयः–कारागृहों में होने वाली अनियमितताओं एवं बंदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार की शिकायतों क संबंध में औचक निरीक्षण करने बाबत।

प्रसंगः–शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर का पत्र क्रमांक प.7(15)गृह–12/कारा/2017 दिनांक 04.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में अवस्थित कारागृहों के संबंध में मानव अधिकार आयोग संगठन, सामाजिक संस्थायें, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वंय सेवी संस्थाओं तथा पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से कारागृहों में होने वाली अनियमितताओं, भ्रष्टाचार तथा जेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जेलों में बंदियों के साथ किये जाने वाले अमानवीय व्यवहारों के संबंध में शिकायते/परिवाद एवं अन्य पत्र प्राप्त होते है।

अतः प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय द्वारा निर्धारित निरीक्षण नोर्म्स के साथ–साथ कारागृहों में होने वाली अनियमितताओं एवं बंदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार की शिकायतों/परिवादों के संबंध में औचक निरीक्षण कर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विक्रम सिंह)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. उप शासन सचिव, गृह(ग्रुप–12)विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
02. प्रभारी, परिवाद शाखा, मुख्यालय कारागार, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।
03. प्रभारी, कम्प्यूटर लैब, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर को वास्ते विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

153

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांकः प.7(15)गृह–12/कारा/2017 जयपुर, दिनांक : 04 NOV 2019

–:परिपत्रः–

राज्य में अवस्थित कारागृहों के सम्बन्ध में मानव अधिकार आयोग संगठन, सामाजिक संस्थायें, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से कारागृहों में होने वाली अनियमितताओं, भष्ट्राचार तथा जेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जेलों में बंदियों के साथ किये जाने वाले अमानवीय व्यवहारों के सम्बन्ध में शिकायते/परिवाद एवं पत्रादि राज्य सरकार को प्राप्त होते है।

राज्य की कारागृहों का नियमित/आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में जिला/संभाग एवं राज्य स्तर पर राजस्थान कारागार अधिनियम–1951 में जिला कलक्टर, न्यायिक सेवा के अधिकारीगण, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जेल सेवा के अधिकारीगणों को सक्षम प्राधिकारी अधिकृत किया हुआ है। उनके द्वारा भी समय–समय पर कारागृहों का नियमित/आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों के संदर्भ में यह निर्णय लिया है कि राज्य में अवस्थित कारागृहों के निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारीगण समय–समय पर अपने अधीनस्थ कारागृहों का नियमित निरीक्षण करने के साथ–साथ कारागृहों में होने वाली अनियमितताओं एवं बंदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार की शिकायतों के सम्बन्ध में औचक निरीक्षण (Surprise Inspections) भी करें ताकि कारागृहों में होने वाली अनियमितताओं एवं बंदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में शिकायतों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सकें एवं वातावरण में सुधार हो सके।

आज्ञा से,

(एन.एल. मीना)
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक।

(कैलाश चन्द)
शासन उप सचिव

-7 NOV 2019
Date.....
Directorate General
Prisons, Rajasthan, Jaipur

DGP	
ADGP	
IG	

निरीक्षण

1462
8-11-19